

प्रेषक,

मनोज कुमार,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद,  
उ०प्र०, लखनऊ।

3- आयुक्त,  
राहत एवं आपदा,  
उ०प्र०, बापू भवन, लखनऊ।

5- प्रमुख सम्पादक,  
जिला गजेटियर,  
उ०प्र०, लखनऊ।

2- आयुक्त,  
चकबन्दी, उ०प्र०,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

4- निदेशक,  
भू अध्ययन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2017

विषय- "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित आहूत बैठक के लिये कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-61/एस०ई०सी०टी०एस०/2017, दिनांक 19 अप्रैल, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को, असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु प्रदेश में तैनात डी०डी०ओ०/टी०ओ० का पंजीकरण एवं राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स का योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करते हुये उन्हें हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने के विषय में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में योजना भवन के सभागार में दिनांक 02 मई, 2017 को मध्याह्न 12:00 बजे से 12:45 बजे तक आहूत बैठक में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2/2017/282/एक-3-2017, दिनांक 15 फरवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/291/एक-3-2017, दिनांक 23 फरवरी, 2017 के क्रम में "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02 मई, 2017 को आहूत उक्त बैठक के उपयोगार्थ विभागीय प्रगति आख्या (नियत प्रारूप पर अंकन सहित) दिनांक 27 अप्रैल, 2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त (एक पृष्ठ)।

भवदीय,

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव।